न्यायालय सहायक कलक्टर दौसा

पीठासीन अधिकारी :- सुश्री मनीषा (आर0 ए0 एस0)
मुकदमा नं0 :- 174/2018
दायर दिनांक :- 06.09.2018

उनवान

1. तेजा पुत्र कालूराम जाति मीना निवासी काली पहाड़ी तहसील दौसा

बनाम

1. ग्यारसीलाल पुत्र नन्दूराम
2. कल्लूराम पुत्र नन्दूराम
3. मूलचन्द पुत्र ग्यारसीलाल
4. बाबूलाल पुत्र ग्यारसीलाल

जाति मीना निवासी काली पहाडी तहसील दौसा

उपस्थित : 1. श्री दयाराम गुर्जर, अधिवक्ता प्रार्थी

Signature Not Verified

Digitally signed by Manisha
Date: 2022.10.21 13:32:22 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
दौसा, जिला दौसा

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा - अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्ताकारी अधि0

::निर्णय::

दिनांकः 20.07.2022

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया गया कि ग्राम कालीपहाडी तहसील दौसा जिला दौसा में भूमि आराजी खसरा नं. 1650/2 रकबा 0.35 है0 स्थित है। प्रार्थी वादग्रस्त आराजी का काबिज काश्तकार है। प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में बतौर खातेदार दर्ज है। अप्रार्थीगण का प्रार्थी की खातेदारी भूमि से किसी भी प्रकार का कोई सम्बन्ध व वास्ता नहीं है परन्तु वह बिना अधिकार प्रार्थी की भूमि पर कब्जा कर बेजा तौर से नीव खोदने व पुख्ता निर्माण करने को आमदा हो रहे है। प्रार्थी की भूमि के लगती हुई ही चरागाह भूमि स्थित है जिसका बेजा फायदा उठाकर अप्रार्थीगण चराहगाह भूमि पर अतिक्रमण कर कब्जा कर प्रार्थी की भूमि को दबाकर जबरन नींव खोदकर निर्माण करने को आमाद है जिसका कि उनको कोई अधिकार नहीं है।

अतः प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द फरमाया जावे कि वे प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा न0 1650/2 रकबा 0.35 है0 वाके ग्राम काली पहाडी तहसील दौसा के किसी भी भाग हिस्से में ना तो नींव खोदे न कोई निर्माण ही करे न भूमि में प्रवेश करे।

प्रार्थना पत्र बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पर एकतरफा वकील प्रार्थीगण की बहस सुनी गई। दिनांक 06.09.2018 को प्रकरण को दर्ज कर भूमि में किसी प्रकार का कोई निर्माण कार्य नहीं करने हेतु अप्रार्थीगण को अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया गया। दिनांक 28.11.2019 को अप्रार्थी संख्या 1.2.4 की तामिल विधिवत नहीं हुई एवं अप्रार्थी संख्या 3 बावजूद सूचना के न्यायालय में उपस्थित नहीं आया। अतः अप्रार्थी संख्या 3 के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गयी तथा प्रार्थी को पुनः तलबाने पेश करने हेतु आदेशित किया गया। दिनांक 11.01.2022 को अप्रार्थी संख्या 3 के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गयी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manisha
Date: 2022.10.21 13:32:22 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
दौसा, जिला दौसा

1. **प्रथम दृष्ट्या मामलाः-** इस अर्थ यह कतई नही है कि मामला पूर्णतः साबित कर दिया क्युंकि यह साक्ष्य का विषय है प्रथम दृष्ट्या मामला का तात्पर्य यह है कि वादपत्र एवं उसके साथ प्रस्तुत दस्तावेज के अवलोकन मात्र से यह विश्वास करने का पर्याप्त कारण हो कि वादग्रस्त आराजी में प्रार्थी को अनुतोष प्राप्त करने का पर्याप्त आधार प्राप्त है या नहीं है।

उपयुक्त प्रार्थना पत्र में ग्राम कालीपहाडी तहसील दौसा जिला दौसा में भूमि खसरा न0 1650/2 रकबा 0.35 है0 प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड रिकार्ड में बतौर खातेदार दर्ज है। भूमि का खातेदार काबिज काश्तकार प्रार्थी है। हमारा विनम्र अभिमत है कि प्रार्थी रिकार्डेड खातेदार होवे से प्रथम दृष्ट्या मामला प्रार्थी के पक्ष में जाता है।

2. **सुविधा का संतुलनः-** अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रकरण में सुविधा के संतुलन में एक आवश्यक एवं महत्वपूर्ण घटक है इसका सामान्य तात्पर्य है कि हस्तगत प्रकरण में व्यादेश नही दिया गया तो प्रार्थी को अधिकतम असुविधा होगी या नही होगी।

चूंकि हस्तगत प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में प्रथम दृष्ट्या मामला प्रार्थी के पास खातेदारी अधिकार होने से सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में पाया जाता है।

3. **अपूरणीय क्षतिः-** उक्त प्रार्थना के आलोक में प्रथम दृष्ट्या मामला व सुविधा का संतुलन दोनो प्रार्थी के पक्ष में बखूबी साबित हुये है। अतः हमारा भी विनम्र अभिमत है कि अप्रार्थीगण के पक्ष में तीनो बिन्दू यथाः- प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति बखूबी साबित होने के कारण अस्थाई व्यादेश के प्रार्थना को स्वीकार हम विधि संगत समझते है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Manisha
Date: 2022.10.21 13:32:22 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
दौसा, जिला दौसा

:: आदेश ::

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थना पत्र प्रार्थिया अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत अस्थाई व्यादेश भली भांति साबित होने से स्वीकार किया जाता है। अस्थाई व्यादेश बहक प्रार्थी विरूद्ध अप्रार्थीगण इस आशय का पारित किया जाता है कि वाके ग्राम कालीपहाड़ी तहसील दौसा जिला दौसा में स्थित आराजी भूमि के खसरा न0 1650/2 रकबा 0.35 है0 भूमि में प्रार्थी के हिस्से पर काबिज रहकर काश्त करने में अप्रार्थीगण ताफैसला वाद दखल न देवे तथा भूमि के मौके यथास्थिति बनाये रखे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमिल प्रविष्ठ दाखिल दफ्तर/लेख भण्डार जमा हो।

निर्णय आज दिनांक 20.07.2022 को सरे ईजलास सुनाया गया।

मनीषा (आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर
दौसा

Signature Not Verified

Digitally signed by Manisha
Date: 2022.10.21 13:32:22 IST
Reason: SelfAttested